न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2023/56 **दायर दिनांक 01.11.2023**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) —सायल—

बनाम

जुल्फीकार पुत्र इब्राहीम जाति व्यापारी उम्र 38 साल निवासी वार्ड नम्बर 26 चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू, जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 05.03.2025**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल जुल्फीकार पुत्र इब्राहिम जाति व्यापारी उम्र 38 साल निवासी वार्ड नम्बर 26 चूरू का रहने वाला है जो जो सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, जिसका समाज के लोगों व नव युवकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा गरीब तबके के लोगों को लालच देकर आम जनता का आर्थिक शोषण करता है, गैर हो चुका है, जिसका उक्त कृत्य अपराध होने के साथ—साथ एक सामाजिक बुराई है। इसका समाज के लोगों व नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ता गैर सायल ऐसा दुःसाहसिक एवं भयावह व्यक्ति हो चुका है, कि उक्त अपराध कारित करने में कतई नहीं डरता है और आमजन साधारण में इसका भय इस कदर व्यापत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध शिकायत करने का साहस तक नहीं कर पाता है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी है, मगर पुलिस की नजरों से जनता में आक्रोश बना हुआ है ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था कभी भी प्रभावित हो सकती है। गैर सायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :—

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	46 दिनांक 21.02.2023	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	10.04.2023	सजा 10.04.2023
2	100 दिनांक 08.04.2023	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	26.04.2023	सजा 28.04.2023
3.	133 दिनांक 21.05.2023	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	02.06.2023	सजा 02.06.2023

इस प्रकार से गैर सायल जल्फीकार की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से श्री अब्दुल गफ्फार एड. ने दिनांक 15.12.2023 को वकालतनामा पेश किया। गैर सायल की ओर से जवाब इस्तगासा प्रस्तुत नहीं करने से जवाब इस्तगासा बन्द किया गया। दौराने बहस गैर सायल स्वयं या उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल को 03 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया जाकर दण्डित किया गया है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 03 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. मे जिनमें दण्डित दिनांक 10.04.2023, 28.04.2023 तथा 02.06.2023 को किया जा चुका है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (ख)(V) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल जुल्फीकार पुत्र इब्राहीम जाति व्यापारी निवासी वार्ड 26 चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना फतेहपुर जिला सीकर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना फतेहपुर जिला सीकर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना फतेहपुर जिला सीकर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना फतेहपुर जिला सीकर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक ०५.०३ .2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)